चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 78वीं बैठक की कार्यवाही ।

स्थान	:	कृषि उत्पादन आयुक्त समिति कक्ष
समय	:	11.00 बजे पूर्वान्ह
दिनांक	:	22-05-1990

उपस्थिति :

1-	डा० शारदा प्रसाद तिवारी कुलपति	- अध्यक्ष
2-	श्री भोला नाथ तिवारी, सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ।	- सदस्य
3-	श्री मनोरंजन, सचिव कृषि, उत्तर प्रदेश शासन ।	- सदस्य
4-	डा० विजय प्रकाश, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ।	- सदस्य
5-	डा० राम जनम सिंह, निदेशक पशुपालन, उत्तर प्रदेश ।	- सदस्य
6-	डा० एम०डी० पाठक, महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद	- सदस्य
7-	श्री अवध राम सचान	- सदस्य
8-	श्री ओ०पी० नेमानी	- सदस्य
9-	डा० ﴾श्रीमती﴿ कान्ती देवी	- सदस्य
10-	श्री अचल सिंह, सदस्य विधान सभा ।	- सदस्य
11-	श्री गणेश दीक्षित, सदस्य विधान सभा ।	- सदस्य
12-	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिन्हा, अर्थ नियन्त्रक ।	- सचिव

बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुये अध्यक्ष महोदय ने सभी नये सदस्यों का स्वागत किया और सबने एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया । कई सदस्यों के अन्य आवश्यक कार्यक्रम थे और वित्त सचिव तथा कृषि सचिव की कई महत्वपूर्ण बैठकें भी लगी थी, अत: सभी सदस्यों ने चाहा कि विशेष मद, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11﴾1﴿ के प्राविधानानुसार कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की संस्तुति करने हेतु प्रबन्ध मण्डल का सदस्य नामित करना है पर पहले विचार कर लिया जाय । सदस्यों के इस आग्रह पर नियमानुसार कार्यवाहक कुलपति डा० शारदा प्रसाद तिवारी अध्यक्ष का स्थान छोड़ कर कक्ष के बाहर चले गये । विशेष मद पर विचार के समय तक डा० ﴾श्रीमती﴿ कान्ती देवी नहीं आ सकी थी । वे इस मद के बाद ही पहुँच सकी ।

विशेष मद की कार्यवाही समाप्त हो जाने पर श्री शारदा प्रसाद तिवारी कुलपति पुन: कक्ष में बुला लिये गये और उन्होंने अध्यक्ष का अपना स्थान ग्रहण कर लिया । अत्याधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण श्री भोला नाथ तिवारी, वित्त सचिव भी चले गये और आगे बैठक में श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित, विशेष सचिव वित्त विभाग तथा श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग भी उपस्थित रहे ।

के प्रस्त

, जो भी

--2

श्री अचल सिंह ने व्यवस्था सम्बन्धी यह प्रश्न उठाया कि :-
"क्या कार्यवाहक कुलपति की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जा सकती है और कार्यवाही हो सकती है । कृषि सचिव श्री मनोरंजन ने इसे स्पष्ट किया और कहा कि ऐसा केइई प्रतिबन्ध नहीं है ।

78:1 77वीं बैठक दिनांक 24-2-1990 की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल की 77वीं बैठक दिनांक 24-2-1990 की कार्यवाही के अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध सचिव, प्रबन्ध मण्डल ने किया तथा माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि इस बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-77:26।14। के प्रस्तर-3 ।कार्यवाही का पृष्ठ-19। पर अंकित कार्यवाही के बारे में माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ने एक पत्र भेजा है जिसे अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर पढ़ कर सुनाया जो निम्नवत है :-

श्री अजीत कुमार सिंह,
पूर्व विधायक

112/278, स्वस्थ्य नगर,
कानपुर ।
दिनांक:अप्रैल 30, 1990

कुलपति एवं अध्यक्ष,प्रबन्ध परिषद,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय,कानपुर ।

महोदय,

कृपया 24-2-1990 की सम्पन्न हुयी प्रबन्ध परिषद की 77वीं बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-77:26।14। के प्रस्तर-3 पर अंकित कार्यवाही विवरण का संदर्भ लें । इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि श्री टी0सी0मिश्र, संयुक्त निदेशक, चावल मिल योजना के निलम्बन सम्बन्धी प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श करने के उपरान्त मैंने कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही पर अपनी सहमति प्रदान की एवं निर्णय लिया गया कि श्री मिश्र के निलम्बन सम्बन्धी प्रकरण में जो कुलपति महोदय ने निर्णय लिया है, उसको माना जाय ।

अतएव आपसे अनुरोध करना है कि 24-2-90 को सम्पन्न हुयी 77वीं बैठक की कार्यवाही में उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही विवरण में यथोचित संशोधन करने की कृपा करें ।

भवदीय,
ह0/-अपठनीय
।अजीत कुमार सिंह ।
सदस्य, प्रबन्ध मण्डल
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौ0
विश्वविद्यालय,कानपुर ।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री अजीत कुमार सिंह के उक्त पत्र को विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुये 77वीं बैठक दिनांक 24-2-1990 की पूर्व परिचालित कार्यवाही अनुमोदित कर दी । इसके बाद सभी सदस्यों के अनुरोध पर मद-2 छोड़ कर मद-3 पर विचार हुआ ।

78:3 चयन समिति की संस्तुति पर लिफाफे खोल कर नियुक्त किये गये तथा बन्द लिफाफे पर निर्णय लेना ।

कुलपति ने बताया कि वर्ष 1984/85 में विज्ञापित कुछ पदों पर चयन समिति की संस्तुतियों पर,तत्कालीन कुलपति द्वारा परिनियमों के अध्याय-13 के प्रस्तर-9 में प्रदत्त अधिकारों के तहत(छः माह अथवा प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन, जो भी पहले हो,

--3

तक के लिये अस्थाई नियुक्तियां दिसम्बर, 1988 में की गयी थी । प्रबन्ध मण्डल से उनकी अनुमोदन होना था, इसी बीच दिनांक 4 मार्च, 1989 को शासन द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने पर प्रबन्ध मण्डल सीधे इन नियुक्तियों के अनुमोदन पर विचार नहीं कर सकता था इसलिये अनुमोदन न होने की स्थिति में इन नियुक्त व्यक्तियों ने दिनांक 5 जून, 1989 को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके स्थगन आदेश इसलिये प्राप्त कर लिये क्योंकि यह नियुक्तियां जून, 1989 में स्वत: समाप्त हो जानी थी ।

कुलपति एवं अध्यक्ष महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के सम्मानित सदस्यों को यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं0-24044 आफ 1988 डा0 वाई0के0 माथुर बनाम कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय एवं चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं मानीटरिंग, याचिका संख्या-12269 आफ 1989 डा0 सी0 सिंह0 एवं अन्य बनाम कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि सचिव, याचिका संख्या-12270 आफ 1989 डा0 आर0पी0 श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम, कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि सचिव, याचिका संख्या-12411 आफ 1989 डा0 ज्योति शंकर एवं अन्य बनाम चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कुलपति, प्रबन्ध मण्डल, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि सचिव पर प्रबन्ध मण्डल को दिये गये निर्देशों से अवगत कराया जो क्रमश: निम्नलिखित है :-

1. The delay on the part of the Board to hold the meeting for the purpose for considering the proposals made by the Selection Committee is not justified. We consequently, direct the Board of Management, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur to hold the meeting, if possible, within three months from today for consideration of the matter of appointment of Dr. N.D. Pandey.

   Dated: 29.3.1990

2. -do-

3. We consequently direct the Board of Management of Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur to hold a meeting for considering the proposals made by the Selection Committee, if possible, within three months from today.

   Dated: 27.3.1990

4. -do-

सचिव, प्रबन्ध मण्डल ने सभी सदस्यों को अवगत कराने हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम के परिनियमों के अध्याय 13 के प्रस्तर -9 तथा अधिसूचना संख्या-20/12-8-400(40)/1989 दिनांक 4 मार्च, 1989 पढ़ कर सुनाई, कई सदस्यों ने इसे देखा भी । सचिव प्रबन्ध मण्डल ने सदस्यों से अनुरोध किया कि उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विचार करें । महत्वपूर्ण बिन्दु यह होगा कि क्या अधिनियम के रहते नियुक्तियों पर विचार किया जा सकता है । क्या अधिनियम के अध्याय-13 के प्रस्तर-9 को देखते 6 माह की अवधि संदर्भित नियुक्तियों की बीत जाने पर उनकी चयन समिति की संस्तुति पर विचार करना चाहेंगे ? और 6 माह बाद ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से अब तक

--4

चले आ रहे है, अब इनका क्या होना है। श्री अचल सिंह ने व्यवस्था सम्बन्धी यह प्रश्न उठाया कि क्या सचिव बैठक की कार्यवाही में बोल सकते हैं । इस पर अध्यक्ष ने बताया कि सचिव को बोलने का अधिकार विधिक रूप से प्राप्त है ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत होने पर सदस्यों ने इस प्रकरण के अनेक पहलुओं पर जानकारी चाही जैसे यह नियुक्तियां करने की आवश्यकता का औचित्य, चयनित अभ्यर्थियों के बन्द लिफाफे किस-किस तिथि में खोले गये और इन्हीं पदों के लिफाफे क्यों खोले गये, शेष पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे क्यों नहीं खोले गये आदि । इसके अलावा श्री सचान ने जानना चाहा कि दिसम्बर,87 से जून, 1989 के बीच प्रबन्ध मण्डल की बैठकें न हो पाने के क्या कारण थे जैसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है, आवश्यक कार्य किस प्रकार होते रहे और यह मामला कब प्रबन्ध मण्डल में लाने हेतु प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

श्री सचान ने कुलपति महोदय से यह जानकारी चाही कि माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मामले पेश थे, क्या 4 मार्च, 1989 की अधिसूचना प्रस्तुत की गयी थी । सही उत्तर दिये जाने हेतु कुलपति महोदय ने कार्यवाहक निदेशक, प्रशासन डा० राम अवध सिंह को बुलाकर पूछा पर उनसे स्पष्ट उत्तर न प्राप्त हो पाने पर उन्होंने सदस्यों को अवगत कराया कि उन्हें इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है । इस पर सदस्यों ने यह जानकारी सीधे डा० राम अवध सिंह से ही चाही कि माननीय उच्च न्यायालय को इन याचिकाओं में विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल प्रतिज्ञापथ पत्रों के माध्यम से शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-20/12-8-400(40)/89 दिनांक 4-3-1989 से अवगत कराया गया अथवा नहीं । इस पर डा० राम अवध सिंह, सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी जो कार्यवाहक निदेशक, प्रशासन एवं मानीटरिंग भी रहें, को बुलाकर अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने बताया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 4-3-1989 विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल प्रतिज्ञापथ पत्रों में भी लगायी गयी है और याचिका कर्ताओं ने भी इसे अपनी याचिका में लगाया है । सदस्यों ने इसकी पुष्टि हेतु प्रतिज्ञापथ पत्र दिखाये जाने को कहा तो सम्पत्ति एवं प्रशासन अधिकारी ने सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण दिखाये जाने की असमर्थता व्यक्त की जिससे सदस्य काफी असंतुष्ट रहे ।

सचिव कृषि श्री मनोरंजन ने कहा कि उनकी अन्य बैठकों में भी व्यस्तता के कारण वे और अधिक समय तक इस बैठक में समय देने में असमर्थ हैं, इसलिये उनका इस मद पर यह मत लिख लिया जाय कि "माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में विचार किया परन्तु हम विधिक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 1989 के प्रभावी रहते बिना शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये निर्णय लेने के लिये सक्षम नहीं है" और वे बैठक से अध्यक्ष की अनुमति लेकर चले गये ।

डा० विजय प्रकाश, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया कि उन्हें 16-5-1990 की बैठक का एजेन्डा मिला ही नहीं जिसकी जांच होनी चाहिये । उन्होंने यह भी आक्षेप किया कि विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापक उन्हें 16 तारीख से पहले मिले थे और उन्होंने यह बता दिया था कि उन्हें यह एजेन्डा भेजा ही नहीं जायेगा और ऐसा ही हुआ । इस पर सचिव ने उनके कार्यालय कैम्प में एजेन्डा को समय से वितरित किये जाने के हस्ताक्षर दिखायें ।

कतिपय सदस्यों का यह भी मतथा कि इस मद पर हमें निर्णय लेने के लिये ही न्यायालय ने निर्देश दिये हैं, इसलिये निर्णय ले लेना चाहिये । श्री अवध राम सचान ने कहा कि निर्णय लेने से पूर्व यह भी विचार कर लिया जाय कि निर्णय केवल

---5

उन्हीं पदों की चयन समिति की संस्तुतियों पर लेना है जिनके लिफाफे खोल कर नियुक्तियां छः माह के लिये की गयी थी या उन पदों की चयन समिति की संस्तुतियों पर भी जिनके लिफाफे अभी बन्द है । कुछ सदस्यों ने कहा कि न्यायालय के निर्देश उन्हीं के लिये है जिनकी नियुक्तियां की जा चुकी है । इस पर अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने सिविल मिस्लेनियस याचिका संख्या-1241। आफ 1989 डा० ज्योति शंकर एवं अन्य बनाम चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौदयोगिक विश्वविदयालय, कानपुर एवं अन्य पर भी प्रबन्ध मण्डल को निर्देश दिये हैं, जो इस प्रकार हैं:-

" We consequently direct the Board of Management of Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur shall hold the meeting for ~~consideration~~ considering the proposals made by the Selection Committee regarding Associate Professor in the Department of Agricultural Biochemistry and Biochemist/Associate Professor in the Department of Agricultural Biochemistry within three months of the date on which certified copy of the judgement is produced before the Vice-Chancellor of the University."

इसे जान लेने पर श्री अवध राम सचान, श्री ओ०पी० नेमानी तथा डा० श्रीमती कान्ती देवी का मत था कि जिन चयन समिति की संस्तुतियों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं की गयी, उनके साथ अन्याय किया गया है इसलिये उनकी भी नियुक्तियां कर दी जाय और सम्यक रूप से फिर इन पर विचार किया जाय । अन्य उपस्थित सदस्य इससे सहमत नहीं थे ।

इस पर श्री सचान, श्री नेमानी तथा श्रीमती कान्ती देवी की ओर से प्रस्ताव आया कि सब लिफाफे खोल दिये जायं । इस पर सचिव, प्रबन्ध मण्डलने जानना चाहा कि 4 मार्च की अधिसूचना प्रभावी रहते लिफाफे खोलने से क्या तात्पर्य है । श्री सचान ने कहा कि जो खोलने का अर्थ होता है, वही है । श्री सचान के कथन से अन्य सदस्य सहमत नहीं थे उनका यह प्रस्ताव था कि यह बैठक Continued मानी जाय, सारा प्रकरण कुलपति महोदय द्वारा शासन को संदर्भित कर दिया जाय और शासन से उत्तर आ जाने पर आगे कार्यवाही पूरी करने हेतु इस बैठक को बुलाया जाय । इस पर सभी सदस्य सर्व सम्मत थे कि सभी मामलों पर सम्यक विचारोपरान्त जो भी निर्णय हो, एक साथ प्रभावी किया जाय ।

काफी विचार विमर्श के बाद सर्व सम्मति से अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ शासन की अधिसूचना दिनांक 4-3-1989 के संदर्भ में प्रकरण शासन की विधिराय प्राप्त करने तथा अधिसूचना दिनांक 4-3-1989 का शिथिलीकरण करते हुये प्रबन्ध मण्डल को इन नियुक्तियों/चयन समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करने अनुरोध के साथ भेज दिया जाय ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि यह बैठक जारी (Continued) रहेगी । शासन से उत्तर प्राप्त होने पर पुनः इस प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के प्रस्ताव के साथ स्थगित कर दी गयी ।

(एस०पी० सिन्हा)
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

(शारदा प्रसाद तिवारी)
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल